1	2	3	4	5
11	केरल	29	48	77
12	मध्य प्रदेश	886	829	1715
13	महाराष्ट्र	1287	570	1857
14	मणिपुर	—	(क)	(क)
15	मेघालय	261	51	312
16	मिजोरम	259	183	442
17	नागालैंड	105	101	206
18	उड़ीसा	321	620	941
19	पंजाब	(क)	78	78
20	राजस्थान	3006	5140	8146
21	सिक्किम	9	4	13
22	तमिलनाडु	849	1361	2210
23	त्रिपुरा	1	2	3
24	उत्तर प्रदेश	856	1195	2051
25	पश्चिम बंगाल	86	457	543
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	4
27	चंडीगढ़	(क)	—	(क)
28	दादरा तथा नागर हवेली	(क)	1	1
29	दमन और दीव	(एम0)	(एम0)	(एम0)
30	दिल्ली	12	4	16
31	लक्षद्वीप	—	—	—
32	पांडिचेरी	1	4	5
	अखिल भारत	11134	18471	29605

(क) 500 हैक्टेयर से कम

(एम०) ब्यौरे अलग से उपलब्ध नहीं हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि के तहत शामिल किया गया है।

इस्पात का निर्यात

1858. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड" ने 1990-91 के वर्ष में इस्पात के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान में इस्पात की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया, और

(ग) 1990-91 के वर्ष में "स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड" के अन्तर्गत इस्पात का उत्पादन करने वाली संस्थाओं ने कितनी मात्रा में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया, और उनकी इस्पात-उत्पादन क्षमता कितनी थी और क्या यह उत्पादन उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुरूप था, यदि नहीं, तो उनकी क्षमता की तुलना में यह उत्पादन कितना कम था ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि,

वर्ष 1990-91 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) द्वारा निर्यात की गई इस्पात की मात्रा निम्नानुसार थी :-

(क) मृदु इस्पात—1,83,400 टन और

(ख) बैदाग इस्पात—3,800 टन

(ग) 1990-91 के दौरान "सेल" के संयंत्रों में विक्रय इस्पात की क्षमता तथा उत्पादन निम्नानुसार रहे : —

(हजार टन)

संयंत्र	विक्रय इस्पात		
	क्षमता	वास्तविक उत्पादन (1990-91)	क्षमता उपयोग प्रतिशत
भिलाई इस्पात संयंत्र	3153	2795	89
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	938	727	78
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1170	1087	93
बोकारो इस्पात संयंत्र	3156	2426	77
इस्को	339	329	97
सेल	8756	7364	84

दूध के मूल्य

1859. **सरदार अगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मदर डेयरी द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दूध के मूल्यों में हाल ही में और वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो दूध का वर्तमान प्रति-लीटर मूल्य क्या है ;

(ग) क्या बाजार में घी, मक्खन और दुग्धचूर्ण में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह मूल्य-वृद्धि की गई है ; और

(घ) दुग्ध उत्पादकों को अगस्त, 1991 के माह में दूध का कितना अतिरिक्त मूल्य दिया गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। 28-8-1991 से डबल टोन्ड दूध का मूल्य 6.00 रुपये प्रति लीटर और मानकीकृत दूध (पौलीपैक में) का मूल्य 8.50 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

(ग) दूध और श्वेत मक्खन और स्किम्ड दुग्ध चूर्ण जैसी अन्य जिन्सों के अधि-प्राप्ति मूल्यों में वृद्धि होने की वजह से मूल्यों में वृद्धि की गई है।

(घ) मदर डेयरी द्वारा राज्य सहकारी डेयरी संघ से अधिप्राप्त किये गये मिश्रित दूध (6.5% वसा और 9% एस० एन० एफ०) का मूल्य 1-8-1991 से 6.45 रुपये से बढ़कर 7.00 रुपये प्रति कि० ग्रा० किया गया था। इस मूल्य को 1.9.1991 से और अधिक बढ़ाकर 8.06 रुपये कर दिया गया है।